न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 36/2019

प्रार्थी :-
आमदीन पुत्र समसूदीन जाति
सिन्धी मुसलमान निवासी
सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :-
1. नूर मौहम्मद पुत्र समसु खां
2. मिसा पत्नि गफूर खां
3. रहमान खां पुत्र कोजु खां
4. सफरू खां पुत्र गफूर खां
सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (राज.)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता:-
श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से
श्री रामकिशोर चौधरी अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31/10/19

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया हैं कि प्रार्थी ने मूल वाद धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है जिसमें उसे सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है व ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1110 रकबा 1.8241 हैक्टयर कृषि भूमि आयी हुई है । जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्सा भूमि को अपनी स्वअर्जित आय से खरीद करना बताते हुए 1/12 हक व हिस्से में अपना कब्जा काश्त होना बताया व वादग्रस्त आराजी का माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा नही होने से वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक इंन्च पर सहखातेदारो का समान हक व हिस्सा होना बताया तथा प्रार्थी ने जमीनो की कीमते बढ़ जाने से वादग्रस्त भूमि को बिना बंटवाड़े के ही अप्रार्थीगण द्वारा मुख्य सड़क के नजदीक जगह को अवैध निर्माण कर कब्जा जबरदस्ती करना बताया तथा प्रार्थी ने आगे अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी में उसका 1/12 हक व हिस्सा निहीत है तथा अप्रार्थीगण को बिना बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य करने व बेचान हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नही है । इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व निर्माण कार्य नही करने के अनुतोष को विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से वकील रामकिशोर चौधरी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया व जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकन किया है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मनगढ़त आधारो पर प्रस्तुत किया है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी थी जो गफुर खां के नाम थी उनके इन्तकाल के बाद उनके वारीसान के नाम इन्द्राज हुई प्रार्थी ने अपने पिता समसु खां को बहला फुसला कर उनका हिस्सा अपने नाम से करवा लिया व जब अप्रार्थी सं. 1 ने अकेले प्रार्थी के नाम से करवाने का उलाहना दिया तो प्रार्थी ने वापस

सहायक कलक्टर ए०
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. एक के नाम से करवा दिया । इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का 1/12–1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है व मौके पर हिस्सा अनुसार बंट किये हुए है व प्रार्थी के पिता द्वारा बंटवाड़ा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य करवाया हुआ है तथा पारिवारिक सेटलमेंट के अनुसार मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है । प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 व 4 के पास अपना हक व हिस्सा मोरगेज रख कर 3,47,200 रूपये 5 वर्ष के लिये उधार लिये है व कब्जा अप्रार्थीगण के पास है व इकरारनामा दिनांक 07.12.2016 को अप्रार्थीगण के हक में निष्पादित है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें ।

बहस वकुलाय सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से बताया कि वह वादग्रस्त आराजी में रेकर्डेड खातेदार है, सबूत में जमाबन्दी पेश है, व वादग्रस्त आराजी का माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा नही हुआ है । अप्रार्थीगण ने जो इकरारनामा पेश किया है वह पंजीबद्ध नही है व इकरारनामा की पालना करवाने का विधिक अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है । इसलिए अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में मूल वाद के निस्तारण तक निर्माण कार्य करने से रोका जावें व मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें । वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए अंकन किया कि सभी खातेदार अपने अपने हक हिस्से में काबिज काश्त है व प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 के पिता ने मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है किसी प्रकार का विवाद नही है । प्रार्थी ने इकरारनामा के जरीये अप्रार्थी सं. 1 व 4 से दिनांक 07.12.2016 को 3,47,200/– रूपये लिये है व वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा रहन रखा है तथा अब प्रार्थी की नियत खराब होने से व दिये गये रूपये नही लौटाने के आशय से उक्त मनगढ़त प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी के पास कब्जा नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण का जवाब, व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में रेकर्डेड खातेदार है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में प्रार्थी का 1/12 वां हिस्सा इन्द्राज है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है, अविभाजित कृषि भूमि में सभी खातेदार का बराबर हक व हिस्सा निहीत होता है । स्वयं अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/12 वां हक व हिस्सा होना माना है लेकिन साथ ही अप्रार्थी सं. 1 से 4 के हक में इकरारनामा के जरीये रहन रखने का अंकन किया है जबकि इकरारनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि इकरारनामा अपंजीकृत दस्तावेज है तथा इकरारनामा की पालना करवाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा प्रार्थी ने अपने हक व हिस्से का माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा करने का अनुतोष चाहा है प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार होने से बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है ।

सुविधा के सन्तुलन के आधार पर यदि वादग्रस्त आराजी में मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति नही की जाती है तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य करेगे या बेचान हस्तान्तरण करेगे तो वादबाहुल्यता बढेगी तथा मौका एवं रेकर्ड की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

यथास्थिति किये जाने से किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की हानि नही है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अप्रार्थीगण मुख्य जगह को कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर देगे। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है ।

अतः प्रथमदृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1110 रकबा 1.8041 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जा एवं काश्त में, प्रार्थी के हक व हिस्से में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावे व वादग्रस्त आराजी का बेचान हस्तान्तरण नही करे, न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें तथा मूल वाद के निस्तारण तक मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।
फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner